147 crores. So, we are competing with China in multiplication of population and We are going to win the race within the next fifty years! But. are we competing in the area of prosperity of the nation also? Perhaps, in that area, we will go down. Anyway, if we cannot bring any legislative measure which is coercive to control the population explosion, are we going to advise the people of India to adopt Chinese food habits ? Will the hon. Minister of Health suggest that we should eat any creature, from monkeys and snakes to white ants and lizards ? In India, Sir, rats eat away one-third of the foodgrains. But in China, rats are a delicacy. The finest pickles are made of rats. We would not change our food habits; we will remain vegetarian and we will multiply our population. But who will remove the poverty in the country? Who will control the diseases in the country? Who will remove illiteracy, unemployment and so on? Unless the Government is strong enough to bring by legislation something to control the population explosion, India's future is bleak.

DR. C.P. THAKUR: Sir, actually, India will not be ruined, I am sure, because in spite of the fact that the population has increased, India is one country in which we are now able to provide food to everybody. There will not be any dearth of food here. Secondly, about stabilisation, the trend that we observe in most of the States now, except three or four States, is that if these four or five States start working very actively, I think the population of India will stabilise. I am sure of this.

*282. *[The questioner (Shri Khan Ghufran Zahidi) was absent. For answer vide page ..... infra.]*

MR. CHAIRMAN : Question No. 283.

Reconstitution of NCM

*283 SHRI NANA DESHMUKH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have been approached to reconstitute the National Commission for Minorities (NCM);

(b) if so, the details of the demands; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR. SATYA NARAYAN JATIYA) : (a) to (c) As per provision of the National

Commission for Minorities Act, 1992, the National Commission for Minorities has been re-constitued in January, 2000 for a period of three years.

श्री नाना देशमुख: महोदय, एक आयोग का गठन करके माइनोरीटीज की भावना का प्रश्न सुलझ नहीं रहा है । क्या सरकार इस पर यह विचार कर रही है कि माइनोरीटीज का प्रश्न, उनकी सुरक्षा का प्रश्न, उनके अधिकारों का प्रश्न, केवल कमीशन बनाकर संतुष्ट होकर सुलझने वाला नहीं है । वस्तुतः यह प्रश्न कुछ पॉलिटीकल रूप लिए हुए है । चाहे माइनोर्टी मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, चाहे मैजोरिटी हिन्दुओं की हो, यह प्रश्न लीडरशिप से संबंधित है । वस्तुतः जब ग्राउंड लेवल पर विचार किया जाता है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता ग्रामीण क्षेत्र में चाहे जिस कम्युनिटी के लोग हों, जिस मजहब के लोग हों, उन सब की समस्याएं एक हैं । समस्या हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, समस्या है उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है तो क्या सरकार नेतृत्व के प्रश्न को अलग रखकर सामाजिक स्तर पर सब लोगों को कैसे सुविधाएं प्राप्त हों, सब लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हों, लोगों की गरीबी कैसे दूर हो और लोग आपस में मिलकर कैसे रहें, इस संबंध में सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ? केवल कमीशन के द्वारा यह प्रश्न सुलझ नहीं रहा है । समाज में माइनोरीटीज, मैजोरिटी के प्रश्न का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के काल में हुआ है और यह नेताओं द्वारा उठाया गया प्रश्न इसलिए है कि हमारा राजनीतिक प्रभाव कैसे बढ़े, हमारे लिए राजनीति में जाने के लिए सत्ता प्राप्ति की सुविधा कैसे प्राप्त हो । वास्तव में यह प्रश्न स्थानीय लेवल पर सभी लोगों को एक समाज, एक आबादी में रहने वालों की सुख सुविधा का प्रश्न है और वस्तुतः इस प्रश्न को पोलिटीकल बनाया जा रहा है । चाहे मैजोरिटी हो , चाहे माइनोरीटीज हो इस प्रश्न पर दूसरे ढ़ंग से विचार करना पड़ेगा और जहां इस प्रकार का विचार किया जाता है तो वहां न क्रिश्चियन्स का प्रश्न उपस्थित होता है, न हिन्दुओं का होता है । मैं अनुभव कर रहा हूं कि सब लोग मिलकर सबकी उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं । क्या इस दृष्टि से सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

डा. सत्य नारायण जटिया: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री नाना जी देशमुख ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से यह समाज के एकात्मक रूप के बारे में है । जो सर्वांगीण रूप से सब के लिए विकास हो, सब काम हो जाए तो इस प्रकार के कमीशन की आवश्यकता नहीं होगी, इस प्रकार की इनकी चिंता है । जो कमीशन बनाया गया है, यह सीमित उद्देश्यों के लिए है । इसके पीछे जो संदर्भ रहा है, कमीशन की जो उत्पत्ति हुई है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1972 में इस प्रकार की माइनोरीटीज की समस्याओं को देखा जाता था । जब इसी प्रकार सारी बातें होती थी तो उस आधार पर यह अनुभव किया गया कि व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जाना चाहिए । तब 12 जनवरी, 1978 में माइनोरीटीज कमीशन की स्थापना करने का काम हुआ । स्थापना के काल से लेकर अब तक बीस रिपोर्टें आ गई हैं और जो कुछ उद्देश्य इसके सामने

था, उसके कारण जो कुछ काम हुआ है, आर्थिक दृष्टि से लोगों के विकास के जो सुझाव आए थे, उस आधार पर उसमें काम किया गया।

आर्थिक दृष्टि से उनके लिए 1994 से लेकर अभी तक जो वित्तीय सहायता देने का काम हुआ है वह लगभग 354.58 करोड़ की सहायता देने का काम हुआ है। अगर ब्रेक-अप देखें तो उसमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इन सारी बातों को देखने के लिए जो सुझाव आते रहे हैं, तथा रिपोटों के संदर्भ में रखते हुए भी जो सुझाव आते रहे हैं उनको कार्यरत करने के लिए समय-समय पर उपाय भी किए गए हैं जो कि निश्चित रूप से उस वर्ग की चिंता को व्यक्त करने के बारे में। माइनोरिटी कमीशन में जो कैटेगिरी शामिल की गई है उनमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्ख, बौद्ध व पारसी हैं। देश की जनसंख्या का जो अनुपात बन रहा है उस अनुपात को देखते हुए मुस्लिम 12.12 प्रतिशत, क्रिश्चियन 2.34 प्रतिशत, सिक्ख 1.94 प्रतिशत, बौद्ध 0.7 प्रतिशत व पारसी 74,000 के लगभग हैं। 1991 की जनगणना जम्मू- कश्मीर को छोड़कर जो आंकड़े उपलब्ध थे उसके आधार पर ये प्रतिशत इस प्रकार थे। भाव यह है कि उन्हें यह अहसास न हो कि वे बाकी लोगों से अलग हैं, विशेषतः जो रिलीजियस माइनोरिटीज हैं उसके आधार पर जो संख्या आई है उसका विकास करने का प्रबंध सीमित उद्देश्य के लिए किया गया है। मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि एकात्मक रूप से सब कुछ होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से कुछ बातें की गई हैं। शिक्षा की दृष्टि से मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान काम करता है। मानव संसाधन मंत्रालय के तहत भी मदरसों और बाकी कार्यकलाप में मदद करके उनकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने का काम किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकास के जो भी काम हो सकते हैं वे किए जा रहे हैं।

श्री नाना देशमुख: माननीय मंत्री महोदय ने आंकड़े वगैरह तो अवश्य प्रस्तुत किए हैं किंतु मैने जो प्रश्न किया कि क्या नेताओं को छोड़कर समाज में जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम हों, ईसाई हों, सिक्ख हों, बौद्ध हों, चाहे हिंदु हों इन लोगों की स्थानीय आधार पर मीटिंग्स कराकर कि वे आपस में किस प्रकार से परस्पर पूरकता और परस्पर सहयोग से एक-दूसरे की समस्याओं का निराकरण करेंगे, का कोई विचार किया जा रहा है या नहीं इसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नही दिया है।

डा. सत्य नारायण जटिया: जहां तक परस्पर पूरकता, सामाजिक एकात्मकता, राष्ट्रीय एकता, सदभावना सहयोग की बात तो इस दृष्टि से उनके जो सुझाव हैं और जो बाकी के इस तरह के विचार करने वाले लोग हैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो यह काम हो ही रहा है परंतु मेरे मंत्रालय के अंतर्गत भी इस काम को करने के लिए हम

प्रयास करेंगे । जो उनके सुझाव हैं तथा अन्य और जो भी सुझाव होंगे उन पर विचार करके, बैठकर कि किस प्रकार से इसे कॉमन प्रोग्राम बनाया जाए जिससे यह जो अलगाव की समस्या है, जो अपनी तरह से अलग-अलग सोच रही है, उन अलग-अलग समस्याओं पर एक समन्वित रूप से, समान रूप से हमारी अप्रोच हो तथा धीरे-धीरे ऐसी स्थिती बन जाए जिससे हम एकरूपता के बारे में, एक रूप समाज के बारे में अपने विचार को पूरा कर सकें ।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Mr. Chairman, Sir, five religious groups of the country, namely, Muslims, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians, are included in the Notified List of Minorities. Sir, so far, 20 Reports of the Minorities Commission have already been submitted to the Government of India. In one of the Reports, a recommendation has been made that Jains be included in the List of Minorities. I would like to know whether the Ministry has accepted that recommendations or not. Sir, the recommendations and the Annual Reports of the Commission are recommendatory in nature. None of the Report has ever been discussed in this Houses of Parliament. Will the Minister take into consideration the suggestion that the latest Report of the Minorities Commission be discussed in this House so that the problems pertaining to and being faced by the minorities are widely discussed?

डा. सत्य नारायण जटिया: प्रश्न के पहले भाग में जैसा कि आपने कहा है कि क्या जैनों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया हुआ है तो निश्चित रूप से यह प्रश्न अभी प्रदेशों के स्तर पर है और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई विचार नहीं हुआ है ।जहां तक रेकमन्डेशंस की बात है और जहां तक उनकी सिफारिशों पर चर्चा का प्रश्न है, निश्चित रूप से सदन में आपके निर्देश पर जब भी कहा जाएगा, इस पर चर्चा करने में हमें प्रसन्नता होगी ।

श्री नीलोत्पल बसु: सभापति महोदय, जो सवाल पूछा गया और जो उत्तर हुआ, उससे मुझे लगता है कि इस बुनियादी बात पर ही कुछ शंकायें हैं कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो विकास दर है, वह चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो और चाहे शैक्षणिक रुप से हो, उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो स्थिती है, उसमें शायद कोई अंतर नहीं है और इसी आधार पर शायद माइनारिटी कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। जो बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की सामान्य समस्यायें हैं वे साधारण विकास के कार्यक्रमों की हैं। इसलिए इन समस्याओं का निपटारा होना चाहिए । तो क्या मंत्री जी, जो माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट है और उसके जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर बता सकते हैं कि हमारे देश में जो अकलियतें हैं, उनकी विकास की दर क्या बहुसंख्यकों से अलग नहीं हैं ? अगर अलग है तो पछले पचास सालों में यह विकास की जो दर है, क्या वह कम हुई है या इसमें असंतुलन बढ़ा है ?

डा. सत्य नारायण जटिया: बुनियादी बातों पर कोई संदेह और शंकाएं नहीं हैं । बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार करने के लिए जो कमीशन बना और उसकी जो सिफारिशें आई हैं, उन पर आगे काम करने का काम जारी है । जहां जक आर्थिक दृष्टि से उत्थान की बात है, निश्चित रूप से इन वर्गों के उत्थान की दृष्टि से जो सिफारिशें आई थीं, उन सिफारिशों को आधार बनाकर ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई थी और उसी आधार पर उनको छोटे-छोटे कर्ज देकर, अभी पिछले सालों में माइक्रोलोन की व्यवस्था करके, जो कम ब्याज पर होता है, ऐसे कर्ज देकर उनके आर्थिक उत्थान के काम को शुरू किया गया है । मेरे पास तीन वर्षों के आंकड़े हैं। 1998-99 में 49.39 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया जो कम ब्याज पर था फिर 1999-2000 में ...

श्री नीलोत्पल बसु: मेरा सवाल यह था कि इनमें और बहुसंख्यकों में अंतर है, इनमें पिछड़ापन ज्यादा है। मै जानना चाहता हूं कि इस पिछड़ेपन में कितनी कमी आई है ? आप जो आंकड़े दे रहे हैं, उससे सच्चाई सामने नहीं आ रही है । अगर पैसा खर्च हो रहा है उससे अक्कलियतों का जो पिछड़ापन, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से है, उसको दूर करने में आप किस हद तक सफल हुए हैं, ये आंकड़े आप दें ?

डा. सत्यनारायण जटिया: वास्तव में यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जो अंतर है ...

श्री नीलोत्पल बसु: आंकड़े दीजिए, अंतर है यह मुझे मालूम है ।

श्रीमती सरला महेश्वरी : आंकड़े परेशान करने वाले हैं ।

डा. सत्य नारायण जटिया: आंकड़े यथार्थ हैं और इनसे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों पर मुझे मत अटकाइये । मैने कहा है कि यह जो कर्ज दे रहे हैं उसकी निरंतर संख्या बढ़ रही है, जो लोन दिया गया है उसमें लाभार्थियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है । पहले 59 करोड़ रुपया हमने दिया था, फिर 60 करोड़ रुपया और फिर 72 करोड़ हो गया है ... (**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु: मुझे आपको संरक्षण देना होगा । बार बार यह विवाद हमारे देश में खड़ा होता है। असल में सवाल यह है कि कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे हैं जो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि गरीब गरीब में अंतर नहीं है लेकिन हमारे देश में अक्कलियतों को कुछ ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसके चलते जितने कार्यक्रम हमने लिये हैं, उनके बावजूद भी वह अंतर दूसरे तबकों से बढ़ रहा है । सवाल यह है कि उसका समाधान कैसे किया जाए ? इसके बारे में अगर आपके पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो आप दूसरी डेट दे दीजिये, हम चर्चा करेंगे । अगर आंकड़े मंत्री जी के पास नहीं हैं ... (व्यवधान)

डा. सत्य नारायण जटिया: वास्तव में आप कौन से आंकड़े चाह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हुआ है।

श्री नीलोत्पल बसु: पिछले तीन साल के आंकड़े मैं चाहता हूं। आपकी सरकार के आने के बाद शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रुप से अक्कलियतों का पिछड़ापन कम हुआ है या बढ़ा है ?

डा. सत्य नारायण जटिया: निश्चित रूप से उसमें कमी हुई है और कमी होने के साथ साथ यह केवल एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास आयोग में ... (व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: विकास की दर में .... (व्यवधान)

डा. सत्य नारायण जटिया: माननीय सभापति महोदय, जो उपाय किये गये हैं, उन उपायों के कारण निश्चित रुप से इन वर्गों की सहायता हुई है, शैक्षणिक रुप से भी सहायता मिली है। मौलाना आज़ाद फ़ाउंडेशन ने भी काम किया है, लोगों को छात्रवृत्तियां देने का काम किया है। 376 एन. जी. ओज़. काम कर रहे हैं। यह काम शुरू किया गया है, इस कारण से शैक्षणिक क्षेत्र में इससे सहायता मिली है और इसमें जो कुछ हमने काम किया है, कुल मिला कर के 1989 से 2001 तक 11 सालों में 55 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और जरूर शैक्षणिक रूप से उत्थान करने का काम हुआ है। शैक्षणिक और आर्थिक रूप से निश्चित रूप से विकास हुआ है।

SHRIK. RAHMAN KHAN: Sir, the problem of minorities, particularly the Muslims, is one of economic and educational backwardness. The Commission was set up to look into these two major issues..... economic and educational backwardness. Now, the hon. Minister has said that there is an improvement, in terms of percentage. But I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the difference, in terms of percentage, according to the National Sample Survey, is like this. There are nine graduates for every hundred population in the country; against this national average, there are only l .5 Muslim graduates for every hundred population. At the graduate level itself, the percentage difference is 7.5, per hundred population. Similarly, the percentage, in the case of Muslims, of people living below the poverty line, is 20 more than the national average. I would like to know from the hon. Minister as to how the Commission, after its setting up, has addressed these two issues. Foreseeing this, the framers of our Constitution provided a fundamental right, under article 30 of the Constitution, for the minorities lo establish educational institutions of their choice so that this difference could be removed. That is why I would like to know from the hon. Minister whether the Commission has addressed these two major issues. Now, the Government has set up a Finance

Development Corporation. What is the achievement of this Corporation in reducing the poverty and also in tackling the education issue? Once you tackle the issue of education, automatically, other thing will improve. So, I would like to know from the hon. Minister whether the National Commission for Minorities has addressed this, and how you are going to implement the fundamental right, provided under article 30 of the Constitution, so that the minorities can establish educational institutions of their choice to improve their educational standard.

डा. सत्य नारायण जटिया: शिक्षा की उनकी चिंता है और शैक्षिक चिंता के लिए जैसा मैंने कहा कि मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान कायम किया है। उसने – इस आयोग ने – अपने इन कार्य के वर्षों में जो सिफ़ारिशें दी थीं इनमें कहा गया था कि मदरसे जैसी आरंभिक संस्थाओं को अपने पाठयक्रम में विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की पहली रिपोर्ट की सिफारिश थी और उसी के परिणामस्वरूप मदरसों में आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1998-99 और 1999-2000 में इस प्रकार के कामों की शुरूआत की थी इसमें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को मदरसों के शिक्षण में शामिल करके उन मदरसों को सहायता करने का काम मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने किया। जहां तक मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन का प्रश्न है उसने पिछड़े वर्ग के लिए जो कुछ काम किया है वह 355 एन जी ओ (गैर सरकारी संगठनों) के माध्यम से किया है। उनको जो सहायता दी गयी है उसमें पचास करोड़ पचास लाख रुपए दे करके तीन वर्षों के दौरान उनमें जो काम किया गया है निश्चित रूप से इसके कारण इन संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण के स्तर में जरूर वृद्धि हुई है।

SHRI K. RAHMAN KHAN : Sir, the hon. Minister has not answered my question regarding the minorities' right to establish educational institutions of their choice. Article 30 of the Constitution gives a Fundamental Right to the minorities to establish educational institutions of their choice. So, my specific question is, what has the Commission done in this regard? So far as the Maulana Azad Education Foundation is concerned, you are only assisting it. Are you bringing any subordinate legislation so that the minorities can get their right of establishing educational institutions of their choice?

डा. सत्य नारायण जटिया: बहुत स्पष्ट है कि जो आप अनुच्छेद 30 की बात कर रहे हैं उसी के अंतर्गत शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान कायम किया गया है और उसके माध्यम से, इन संगठनों के माध्यम से, शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने का काम किया गया है। आयोग का जो यह काम हो रहा है वह भी अनुच्छेद 14,15,16,25,26,28,29 और 30 में जो बातें कही गयी हैं उनको संदर्भित रखते हुए, विशेषकर अनुच्छेद 30 की जिन

शैक्षिक बातों के बारे में आप कह रहे हैं उनको संदर्भित करते हुए इन सारे कामों को करने का काम उसने किया है और आगे भी यह काम प्रगति की दिशा में जारी है । इस पर जो खर्च किया जा रहा है वह निरंतर वृद्धिगत है ।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी , माननीय मंत्री महोदय को अहसास होगा कि इस देश के छः राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू माइनारिटी में हैं । जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर से इसके जो सदस्य हैं और इनका जो कार्यक्षेत्र है वह इस देश के अल्पसंख्यकों के, विशेषकर सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जोराष्ट्रिन्स के संदर्भ में है । जिन क्षेत्रों में इस देश की मेजारिटी माइनारिटी बन गयी है मसलन जम्मू – कशमीर या उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में जहां पर ईसाई मेजारिटी में हैं, हिन्दु माइनारिटी में आ गए हैं, क्या उन राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं, एक ? दूसरी बात अगर आते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग ने उन क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के संदर्भ में क्या कभी कोई रिक्मेंडेशन दी ? अगर वे उनके क्षेत्राधिकारों में नहीं आते तो क्या इस संबंध में मंत्रालय कोई विचार कर रहा है कि जम्मू-काश्मीर या उन राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनका भी आयोग में रिप्रेजेंटेशन हो ?

डा. सत्य नारायण जटिया: जैसा कि मैंने कहा कि रिलीजियस माइनारिटीज के बारे में और उनको स्थापित करने के लिए मजहब, धर्म या जिसको हम कह सकते हैं सम्प्रदाय, उसमें भी जो पांच धर्म हैं वे ही प्रमुख हैं । यह मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्ख, बौद्ध और पारसियों के बारे में है । इसके अलावा अन्य के विषय में नहीं है और उस दृष्टि से इन पांचों के बारे में ही यह कमीशन काम करता है।

श्री संजय निरुपम: जम्मू काश्मीर में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी चिंता कौन करेगा ? वहां के सारे के सारे पंडित विस्थापित हो गए हैं । जम्मू में बहुत बदतर स्थिति में रह रहे हैं । क्या इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अपनी कोई भूमिका नहीं बनती है ?

डा. सत्य नारायण जटिया: इनके बारे में जो सुझाव हैं उन पर किस तरह से विचार किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से इसमें और क्या किया जा सकता है वह करने के बारे में, अपना विचार करने के बारे में, आपने जो बताया है, सरकार उसका संदर्भ लेते हुए क्या कर सकती है, यह देखेगी ।

श्री विजय जे. दर्डा: सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने माइनारिटीज़ के स्कूल हैं जिन्होंने परमीशन मांगी, मगर उनको नहीं दी गई ?

डा. सत्य नारायण जटिया: इसके लिए तो निश्चित रूप से अलग से कोई सूचना मिलेगी तो जरूर जवाब देंगे ।

ST status to Pahari- Pathari Community of Kashmir

*284. SHRI MIRZA ABDUL RASHID : Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to refer to reply to Unstarred Question 2399 given in the Rajya Sabha on 13th August, 2001, and state:

(a) whether it is a fact that the proposal of conferment of ST status to Pahari-Pathari speaking people of J and K is fully processed and complete in all respect; and

(b) if so, by when Government will confer ST status to this Community?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI MIRZA ABDUL RASHID : In the previous Session, the Minister had given a positive reply to my question. But in this Session, a negative reply has been given. I would like to say that a number of people reside on the Line of Actual Control. The whole of the area, right from Jammu-Akhnoor, Chhamjoria, Suder Bani, Nowshera, Rajouri, Poonch, Haji Peer, Uri, Karnah and Keren, is covered under the Line of Control. Right from Late Indiraji onwards, all the Prime Ministers had assured that these people will be declared as Scheduled Tribes. Last year, while addressing a large gathering at Karnah, the hon. Prime Minister, Shri Atal Behari Vajpayee, had announced that the status of Scheduled Tribe would confirmed on these people, without any further delay .The Prime Minister's Office had written a letter to the Tribal Minister on the 14th March, 2001. And the Ministry had indicated that they were awaiting the reply of the State Government of Jammu & Kashmir. Since the State Government's response is now available, it is requested that further comments of the Ministry on the letter may kindly be sent to the Prime Minister's Office immediately, for submission to the Prime Minister. I would like to know from the hon. Minister when they will be submitting this report to the PMO.

श्री जुएल उराम: सर, ट्राइबल कम्युनिटी में इन्क्लूड करने के लिए पांच विधि हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्ज़ होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफीकल आइसोलेशन होना चाहिए, नो साइन ऑफ काटेंक्ट विद द मेन पीपुल, यह अभी तक इस कम्युनिटी में नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्य डिमांड कर रहे हैं । यह एक लिंग्युस्टिक ग्रुप है, पहाड़ी-पठारी स्पीकिंग लोगों